

राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर

क्रमांक:-मुसप्र/2016/1078

दिनांक:-13/11/16

आदेश

आवासीय अभियन्ता, खण्ड-बारह, प्रताप नगर, सांगानेर, जयपुर के अधीन अक्शेष-18 आवासीय भूखण्डों का नियमानुसार निस्तारण अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता-प्रथम के प्रस्तावानुसार नीलामी के माध्यम से किये जाने की स्वीकृति एतद्व द्वारा निर्देशानुसार प्रदान की जाती है, आवासीय भूखण्डों का विवरण निम्नानुसार है :-

क्र.स.	आवासीय भूखण्ड संख्या	माप(मी.)	क्षेत्रफल(व.मी.)
1	195/88-A	8.00 X 14.00	112.00
2	195/88-B	6.00 X 14.00	84.00
3	195/88-C	6.00 X 14.00	84.00
4	195/88-D	6.00 X 14.00	84.00
5	195/88-E	6.00 X 14.00	84.00
6	195/88-F	6.00 X 14.00	84.00
7	195/88-G	6.00 X 14.00	84.00
8	195/88-H	6.00 X 14.00	84.00
9	195/88-I	6.00 X 14.00	84.00
10	195/88-J	6.00 X 14.00	84.00
11	195/88-K	6.00 X 14.00	84.00
12	195/88-L	6.00 X 14.00	84.00
13	195/88-M	6.00 X 14.00	84.00
14	195/88-N	6.00 X 14.00	84.00
15	195/88-O	6.00 X 14.00	84.00
16	195/88-P	6.00 X 14.00	84.00
17	195/88-Q	6.00 X 14.00	84.00
18	195/88-R	8.00 X 14.00	112.00

अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता-प्रथम/उप आवासन आयुक्त-प्रथम निम्न शर्तों के आधार पर नीलामी योजना में आवासीय भूखण्डों का निस्तारण करना सुनिश्चित करें।

1. उक्त आवासो के अलावा संबंधित स्कीम में कोई अन्य आवासी भूखण्ड नीलामी हेतु रिक्त नहीं है।
2. आवासीय भूखण्डों का निस्तारण उचित प्रचार-प्रसार के माध्यम से नियमानुसार किया जावे।
3. आवासीय भूखण्ड आवंटन हेतु कोई भी पंजीकृत आवेदक लम्बित नहीं है।
4. किसी भी अन्य प्रकार से निस्तारण करने पर अधिक आय प्राप्त नहीं हो सकती अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता अपने स्तर पर सुनिश्चित कर ले।
5. उक्त प्रस्तावित आवासो में किसी भी प्रकार का विवाद/न्याय विवाद लम्बित नहीं है।
6. मण्डल द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक प.33/मुसप्र/खुली बिक्री/10-11/2107 दिनांक 12.11.2010 की पालना सुनिश्चित की जावे।

उक्त आदेशों को पत्रावली के पैरा 61-62/एन पर आवासन आयुक्त एवं अध्यक्ष महोदय का अनुमोदन प्राप्त है।

मुख्य सम्पदा प्रबन्धक

राजस्थान आवासन-2015-16

प्रतिलिपि विभाग को सूचनाएँ :-

1. निजी सचिव-अध्यक्ष महो./आवासन आयुक्त महो., राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
2. मुख्य अभियन्ता (मु0), राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
3. मुख्य अभियन्ता-प्रथम/द्वितीय/सचिव/वित्तीय सलाहकार/निदेशक विधि, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
4. अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता-प्रथम रा0आ0म0, जयपुर
4. अति0 निजी सचिव-मुख्य सम्पदा प्रबन्धक, रा0आ0म0 जयपुर।
6. उप आवासन आयुक्त, वृत्त-प्रथम, रा0आ0म0 जयपुर।
7. आवासीय अभियन्ता खण्ड-बारह, रा0आ0म0 जयपुर।
8. संयुक्त एनालिस्ट (निदेशक), राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि आदेश की प्रति मण्डल की वेबसाईट पर अपलोड व सभी को मेल करें।
9. सहायक निदेशक, जनसम्पर्क अधिकारी, राज0 आ0 मण्डल, जयपुर।
10. प्रभारी नागरिक सेवा केन्द्र, (मु0), रा0आ0म0, जयपुर
11. रक्षित पत्रावली।


सम्पदा प्रबन्धक (मु0)